न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या :– 146 / 2019 निर्णय दिनांक 4.7.19

उनवान

1. सत्यनारायण पुत्र भौरिया
2. रामराय पुत्र भौरिया
3. घनश्याम पुत्र भौरिया

समस्त जाति मीणा निवासी ग्रम परमानन्दपुरा उर्फ मण्डालिया तहसील कोटखावदा पुलिस थाना कोटखावदा जिला जयपुर

––वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा।

––प्रतिवादी

प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद से करवाने बाबत।

प्रार्थीगण ग्रम कोटखावदा तहसील कोटखावदा के खातेदार काश्तकार है जिसके आराजी खसरा नम्बर 130, 132, 134, 135, 136, 137, 143, 144, 405, 409, 410, 411, 414, 415, कुल 14 रकबा 4.49 है0 भूमि वाके ग्राम परमानन्दपुरा उर्फ मण्डालिया तहसील कोटखावदा में स्थित है जिस भूमि के वादीगण ग्रम परमानन्दपुरा उर्फ मण्डालिया तहसील कोटखावदा खातेदार काश्तकार है। उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थया ने निवेदन किया है प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी की गयी व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार पेश किया गया कि प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु दिनांक 11.06.2012 को चालान संख्या 177 के द्वारा 220 रूपये राजकोष में जमा करवाये जा चुके है। जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर वकील प्रार्थी को सुना गया तो प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र का

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:40:42 IST
Reason: SelfAttested

समर्थन करते हुए प्रार्थीया की भूमि की पत्थरगढी पुलिस इमदाद से कराने हेतु दौराने बहस जाहिर किया गया।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर गौर किया व प्रार्थना पत्र एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया तो प्रार्थिया की भूमि पत्थर गढी करवाया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 130, 132, 134, 135, 136, 137, 143, 144, 405, 409, 410, 411, 414, 415, कुल 14 रकबा 4.49 है0 भूमि वाके ग्राम परमानन्दपुरा उर्फ मण्डालिया तहसील कोटखावदा की पत्थरगढी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण व पडोसी खातेदारों की उपस्थिति में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो व फसल कटने के बाद पत्थरबढी की जावे व साथ ही उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
(एस0डी0एम0) चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:40:42 IST
Reason: SelfAttested